फर्द अहकाम

सरकार बनाम सैदूराम वगैरह

नाम न्यायालय

केस संख्या रा०रेफ०सं० 44/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	27-3-18	पत्रावली पेश हुई। बमुताबिक फैसला अलग रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली कैफियत शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 27-3-18 को खुले इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 44/2016
सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. सेडूराम पुत्र भूरा, जाति–माली, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर।
2. नन्दकिशोर पुत्र भूरा, जाति–माली, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर जिला–जयपुर (मृतक)।
   - 2/1 मूली देवी पत्नी श्री हेलाराम, पुत्री स्व0 श्री नन्दकिशोर, जाति–माली, निवासी–काकूवा की ढाणी, बैनाड रोड़, तहसील–जयपुर।
   - 2/2 लल्ली उर्फ केशर पत्नी श्री भंवरलाल, पुत्री स्व0 श्री नन्दकिशोर, जाति–माली, निवासी–मालियो की ढाणी, जयसिंहपुरा खोर, तहसील–जयपुर।
   - 2/3 गोपाल पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर, जाति–माली, निवासी–ढाणी खिलारिया चरण नदी, जयपुर, तहसील–जयपुर।
   - 2/4 छोटा देवी उर्फ बिन्दु पत्नी कल्याणसहाय, पुत्री स्व0 श्री नन्दकिशोर, जाति–माली, निवासी–मालियो का मौहल्ला, जयसिंहपुरा खोर, तहसील–जयपुर।
   - 2/5 रोशन पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर, जाति–माली, निवासी–ढाणी खिलारिया, चरण नदी, जयपुर तहसील–जयपुर।
   - 2/6 नरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर, जाति–माली, निवासी–ढाणी खिलारिया, चरण नदी, जयपुर तहसील–जयपुर।
   - 2/7 शशिकान्त पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर, जाति–माली, निवासी–ढाणी खिलारिया, चरण नदी, जयपुर तहसील–जयपुर।
3. रामनारायण पुत्र भूरा, जाति–माली, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर।
4. बंशीधर पुत्र बोदिया, जाति–माली, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर।
5. रामचन्द्र पुत्र बोदिया, जाति–माली, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर।
6. कैलाशचन्द पुत्र बोदिया, जाति–माली, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर।
7. श्रवणलाल पुत्र बोदिया, जाति–माली, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर।
8. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री चौथू, जाति–माली, नि0–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर।
9. रामप्रताप पुत्र श्री चौथू, जाति–माली, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर (मृतक)।
   - 9/1 रूकमणी पत्नी स्व0 श्री रामप्रताप, जाति–माली, निवासी–ढाणी खिलारिया, चरण नदी, जयपुर, तहसील–जयपुर।
   - 9/2 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप, जाति–माली, निवासी–ढाणी खिलारिया, चरण नदी, जयपुर, तहसील–जयपुर (मृतक)।
     - 9/2/1 विमला देवी पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश, जाति–माली, निवासी–ढाणी खिलारिया चरण नदी, जयपुर, तहसील–जयपुर।
     - 9/2/2 सागर पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश, जाति–माली, निवासी–ढाणी खिलारिया चरण नदी, जयपुर, तहसील–जयपुर।
     - 9/2/3 सौरभ पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश, जाति–माली, निवासी–ढाणी खिलारिया चरण नदी, जयपुर, तहसील–जयपुर।
     - 9/2/4 मोनू पुत्री स्व0 श्री ओमप्रकाश, जाति–माली, निवासी–चौघरी पैट्रोल पम्प के सामने मैन रोड़ सांगानेर, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
     - 9/2/5 पूजा पुत्री स्व0 श्री ओमप्रकाश, जाति–माली, निवासी–ढाणी खिलारिया चरण नदी, जयपुर, तहसील–जयपुर।
   - 9/3 मुकेश पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप, जाति–माली, निवासी–ढाणी खिलारिया, चरण नदी, जयपुर, तहसील–जयपुर।

9/4 मैना पत्नी सूरजमल सैनी, पुत्री स्व0 श्री रामप्रताप, जाति–माली, निवासी–गहलोत भवन, तहसील आमेर के सामने, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।

9/5 ममता पत्नी बालकिशन सैनी, पुत्री स्व0 श्री रामप्रताप, जाति–माली, निवासी–ए–11, गोविन्द नगर पूर्व थाने के सामने, तहसील–जयपुर।

10. रामपाल पुत्र स्व0 श्री चौथू, जाति–माली, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।
11. बद्रीनारायण पुत्र स्व0 श्री चौथू, जाति–माली, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।
12. सीताराम पुत्र स्व0 श्री चौथू, जाति–माली, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।
13. नाथी पत्नी स्व0 श्री चौथू, जाति–माली, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।
14. मूलचन्द पुत्र श्री बिरधा, जाति–माली, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।
15. प्रभुनारायण पुत्र श्री बिरधा, जाति–माली, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।
16. किशनलाल पुत्र श्री बिरधा, जाति–माली, निवासी–नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. श्री कैलाश नारायण शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1, 3 लगायत 8, 9/2/1 लगायत 9/2/5, 11 लगायत 16 ।
3. अप्रार्थी संख्या 2/1 लगायत 2/8, 9/1, 9/3 लगायत 9/5, 10 बावजूद तामील असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय **दिनांक : 27.03.2018**

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ग्राम–नांगल जैसा बोहरा की आराजी खसरा नं0 151 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा मूल राजस्व रिकार्ड मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में कॉलम संख्या 4 में माफी लक्ष्मीनाथ जी व.अ. पुजारी लक्ष्मीनारायण साकिन झोटवाडा तथा कॉलम संख्या 05 में भोरया व चौथ्या व बिरधा, बोद्या पि0 रामू, जाति–माली साकिन चरण नदी मु0क0 हि0 बराबर के रूप में अंकित हैं, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 16 के नाम हैं। कृषक भोरया, चौथ्या, बोद्या व बिरधा की मृत्यु होने पर वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये गये हैं जिसमें माफी मन्दिर का इन्द्राज नहीं किया जाकर

कृषको को ही सर्वाधिकारी मानते हुए दर्ज किया गया हैं, जो विधि–विरूद्ध हैं। माफी मन्दिर/देव मूर्ति की स्थिति शाश्वत् नाबालिग हैं तथा नाबालिग के हितो का इस प्रकार अन्तरण किया जाना न्याय–संगत नहीं हैं। अतः भूमि वापस माफी मन्दिर लक्ष्मीनाथ जी के नाम मिसल बन्दोबस्त अनुसार दर्ज फरमाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार दर्ज कर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट् संख्या 2, 9 की फौतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कायमी–मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 04 नाम उपभोक्ता में माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनाथ जी व.अ. पुजारी लक्ष्मीनारायण साकिन झोटवाडा दर्ज हैं तथा कॉलम सं0 05 नाम कृषक में भोरया व चौथ्या व बिरधा, बोद्या पिसरान् रामू, जाति–माली साकिन चरणनदी दर्ज हैं। कृषक भोरया, चौथ्या, बोद्या व बिरधा की मृत्यु होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये गये हैं जिसमें माफी मन्दिर का इन्द्राज नहीं किया जाकर कृषको को ही सर्वाधिकारी हितकारी मानते हुए दर्ज किया गया हैं। भूरा के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 315 दिनांक 01.06.1981 द्वारा मृतक के वारिसान के नाम, बोदया के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 07.02.1983 द्वारा मृतक के वारिसान के नाम, चौथू के फौत हो जाने पर नामान्तरकरण संख्या 560 दिनांक 17.04.1997 द्वारा मृतक के वारिसान के नाम तथा बिरधा के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 634 दिनांक 27.02.2002 द्वारा मृतक के नाम नामान्तरकरण किये गये हैं। वादग्रस्त भूमि वास्तविक रूप से माफी मन्दिर लक्ष्मीनाथ जी की थी। माफी मन्दिर/देवमूर्ति की स्थिति शाश्वत नाबालिग हैं और नाबालिग के हितो का इस प्रकार अन्तरण किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 46 के प्रावधानो के विपरित हैं। नाबालिग मूर्ति की खातेदारी आराजी पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते हैं। विचारण प्रकरण में नियमों के प्रावधानों के विपरित राजस्व अभिलेख में निजी खातेदारी दर्ज की हैं, जिसे निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे और भूमि वापिस माफी मन्दिर लक्ष्मीनाथ जी के नाम से दर्ज करवाई जावे जैसा कि मिसल बन्दोबस्त में दर्ज हैं।

अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री कैलाश नारायण शर्मा का कथन हैं कि वादग्रस्त आराजी कभी भी माफी मन्दिर लक्ष्मीनाथ जी की खुदकाश्त नही रही हैं बल्कि बजमाने जागीरदारान् अप्रार्थीगण के पूर्वजान के कब्जा–काश्त की खातेदारी आराजी रही हैं। वादग्रस्त आराजी ग्राम नांगल जैसा बोहरा, तहसील–जयपुर की हैं और यह ग्राम जागीर का गॉव था तथा जागीर उन्मूलन से पूर्व व उसके पश्चात् से मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज भोरया, चौथ्या, बोद्या व बिरधा पि0 रामू, जाति–माली सा0 देह चरणनदी बहैसियत खातेदार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 151 रकबा 01 बीधा 07 बिस्वा वाके ग्राम नांगल जैसा बोहरा काबिज हो काश्त करते चले आ रहे थे तथा लगान अदा करते आ रहे थे। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में बतौर खातेदार इन्द्राज हैं। वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकारान् जो कि अप्रार्थीगण के पूर्वज हैं, की मृत्यु होने पर फौतगी का नामान्तरकरण प्रार्थी तहसीलदार द्वारा वारिसान–अप्रार्थीगण के नाम खोले जाकर स्वीकार किये गये हैं जो राजस्व अभिलेख जमाबन्दी मे दर्ज होकर बदस्तूर चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी कभी भी माफीदार की खुदकाश्त की दर्ज रिकार्ड नहीं रही हैं। वादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 से पूर्व भी अप्रार्थीगण के पूर्वजान के नाम दर्ज रही हैं। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 से पूर्व वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 151 रकबा 01 बीधा 07 बिस्वा के खसरा नम्बर 140 रकबा 01 बीधा 07 बिस्वा रहे हैं जैसा कि नकल मिलान क्षेत्रफल मौजा नांगल जैसा बोहरा से सिद्ध हैं। राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प0क्र0:3(2)राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 द्वारा स्पष्ट किया गया हैं कि मन्दिरो को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मन्दिर के नाम दर्ज किया जा रहा हैं, उचित नहीं हैं। ऐसी भूमि के संबध में जो मन्दिर माफी की थी के संबध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनिम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया हैं। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार

बने रहेगे। धारा 9 के अनुसार "जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार–जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त हैं, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगे और वह ऐसी भूमि के संबध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारो को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त हैं। ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि–सम्मत नहीं हैं। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 के संबध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी उनके पत्र क्रमांक राम/प–63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 द्वारा स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 के अनुसार राजस्व न्यायालयों में निस्तारण कराया जावे। वादग्रस्त आराजी जागीर पुनर्ग्रहण के समय अप्रार्थीगण के पूर्वजान के कब्जे–काश्त की खातेदारी आराजी थी। सम्वत् 2009–2012 में अप्रार्थीगण के पूर्वजान का नाम दर्ज हैं। इसके पश्चात् बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में भी अप्रार्थीगण के पूर्वजान का नाम बतौर खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा सम्वत् 2009 से पूर्व का ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं जिससे यह साबित हो कि सम्वत् 2009 से पूर्व आराजी कभी माफी मन्दिर लक्ष्मीनाथ जी की खुदकाश्त में दर्ज रही हो। अप्रार्थीगण ने मिसल हकीयत सम्वत् 1987 ग्राम नांगल जैसा बोहरा की नकल प्राप्त किये जाने हेतु संबधित कार्यालय में आवेदन दिया था परन्तु यह अवगत कराते हुए लौटा दिया कि रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त आराजी कभी भी माफी मन्दिर की खुदकाश्त आराजी नहीं रही हैं। वर्तमान में आज भी अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा–काश्त हैं न कि मन्दिर का। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा निर्देशित किया हैं कि –"जागीरों के अधिग्रहण के समय माफी मन्दिर की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम से दर्ज थी, उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त हैं ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिरों

के नाम दर्ज किया जाना विधि–सम्मत् नहीं हैं। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।" पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल खसरा गिरदावरी में कृषक के कॉलम में बोद्या, भूरिया वल्द रामला माली साकिन देह कदमी दर्ज हैं। इसके पश्चात् मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम संख्या 05 नाम कृषक में भौरया व चौथ्या व बिरधा बोद्या पि0 रामू जाति–माली साकिन देह चरणनदी मु0क हि0 बराबर खातेदार दर्ज हैं। पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी अथवा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह प्रमाणित होता हो कि विवादग्रस्त आराजी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व अथवा बाद में, जागीर रिजम्शन के समय अथवा इससे पूर्व माफी मन्दिर की खुदकाश्त दर्ज रही हो अथवा प्रार्थी तहसीलदार द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अप्रार्थीगण का अंकन बिना आधार व बिना कारण के जमाबन्दी में आ गया हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के समय और जागीर रिजम्शन एक्ट के समय अप्रार्थीगण के पूर्वजान का नाम कृषक के कॉलम में दर्ज रहा है। तहसीलदार, जयपुर ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सम्वत् 2015–2034 की जमाबन्दी को आधार बनाकर कथन किया है कि भूमि मन्दिर माफी की रही है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के प्रभाव में आने से बहुत पहले का इन्द्राज हैं। यह इन्द्राज भी सम्वत् 2034 तक रहा। रिकार्ड से भूमि मन्दिर की खुदकाश्त की कभी नहीं रही। बल्कि जमाबन्दी सम्वत् 2015–2034 के कॉलम संख्या 05 में स्पष्ट रूप से भोरया व चौथ्या व बिरधा बोद्या पि0 रामू जाति–माली खातेदार दर्ज है। मन्दिर मूर्ति के पक्ष में ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं हुआ जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी कभी मन्दिर की खातेदारी या खुदकाश्त की रही हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का आद्योपान्त अवलोकन करने के बाद तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व जागीर एक्ट के प्रावधानों के एवं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प0क्र0:3(2) राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विधिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर